

प्रपत्र संख्या 9
(नियम 9 बर्छिये)

सनात प्रदेस सरकार
स्वास्थ्य विभाग
सनात का प्रमाण-पत्र

सनात शरीर माय -
रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 की धारा 12 के अर्थानुसार
काली किया गया/धारा 17 के अर्थानुसार काली किया गया।

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सनात नाम के मूल अधिलेख से ली गई है जो -
है - कानपुर (देहान) - जिले की भोजनीपुर
है।

(स्थानीय क्षेत्र)

उत्तर-प्रदेश
नगर पालिका परिषद, कानपुर के रजिस्ट्रार

नाम - सोनी
पिता - रमेश
सनात का दिनांक - 27-9-96
सनात स्थान - मालवीयनगर
विवाह/सनात का नाम - विजय पांडेय
विवाह/सनात की तारीख - भारतीय
काली करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर - पुनर

रजिस्ट्रेशन संख्या - 17
रजिस्ट्रेशन का दिनांक - 26/10/96
पिता/माता का स्थायी पता - मालवीयनगर
कानपुर (देह)

दिनांक - 26/10/96
प्रमाणित किया जाता है - प्रमाणित
को 0 एल 0 एल 0 - एल 0 को 0 17 एल 0 एल 0 (3300) - 1985-1,60,000 (सी 0)।